कार्यालय– अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर
छ0स्टे0पा0डिस्ट्री0कं0लि0, का क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल,
वन विद्यालय के सामने, गीदम रोड, जगदलपुर (छ0ग0) पिनकोडः–(494–001)

विषयः– बगैर कनेक्शन के अनावश्यक बिजली बिल बकाया होने का प्रकरण बनाकर नोटिस भेज भेजकर प्रताड़ित करने के विषय में।

प्रकरण क्रमांकः–
"जगदलपुर / 14 / 2026"

श्रीमती सुकन्तीन, ...आवेदिका
ग्रामः– गौरगांव, पोस्टः– कोहकामेटा,
तह0ः– केशकाल, जिलाः– कोण्डागांव,
मो0नं0 6266224531

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग, ...अनावेदक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 26.05.2026 को पारित किया गया)

(1) आवेदक के मूल शिकायत दिनांक 23.03.2026 यह है कि :–

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में सादर याचिका प्रस्तुत है कि –

1. मैं सुकन्तीन बाई ग्राम– गौरगांव, तहसील– केशकाल जिला–कोण्डागांव की निवासी हूँ।

2. मैं गरीब अशिक्षित आदिवासी महिला हूँ।

3. मैं अपने घर में घरेलु उपयोग के लिये विधिवत आवेदन देकर बिजली लगवाई हूँ जिसका बी0पी0क्र0 1004797104 है जिसका बिजली बिल निरंतर समय पर जमा करते आ रही हूँ।

4. मेरे पास अचानक राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थिति होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नोटिस (जारी दिनांक 13.09.2024) प्रेषित किया गया जिसमें मेरे नाम से B.P. No. 1005011507 का 13035 /– का बकाया राशि की वसूली होना शेष दर्शाया गया था। (नोटिस की छायाप्रति संलग्न है)

ज्ञात हो कि बी0पी0न0 1005011507 का कोई विद्युत कनेक्शन / मीटर मेरे यहां कभी लगाया ही नहीं गया है। मैं उक्त नोटिस मिलने से परेशान और चिंतित होकर कनिष्ठ

यंत्री–केशकाल को वस्तुस्थिति से अवगत कराने 03.01.2025 को आवेदन देकर त्रुटि सुधार करने का निवेदन की परन्तु त्रुटि सुधार नहीं किया गया बी0पी0क्र0 1005011507 का कभी भी बिल भी प्रदान नहीं किया गया है।

दिनांक 20.03.2026 को फिर से विद्युत विभाग के कर्मचारी मेरे घर आये और यह बोले कि तुम्हारा बिजली बिल 19000/– हो गया है।

बिजली ऑफिस आकर पैसा पटा दो नहीं तो कार्यवाही हो जायेगा। बगैर मीटर बगैर कनेक्शन और बगैर बिजली उपयोग किये में 19000/– क्यों पटाऊं और मैं गरीब महिला कैसे 19000/– पटाऊं यह चिंता मेरे को सताने लगी है।

मैं विद्युत विभाग के अव्यवहारिक–अन्यायपूर्ण कृत्य एवं कार्यवाही से बहुत दुखी प्रताड़ित होकर यह आवेदन (याचिका) आपको सादर सम्प्रेषित् कर रही हूँ।

आपसे मेरी प्रार्थना है कि इंसाफ करते हुऐ उक्त बिजली बिल माफ कराते हुए मुझ गरीब अशिक्षित आदिवासी महिला को अनावश्यक प्रताड़ित करने वाले कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें।

(2) यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोण्डागांव ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांकः 190 दिनांक 24.04. 2026 के माध्यम से फोरम को सूचित किया कि :–

1. सन्दर्भानुसार आवेदिका (विद्युत उपभोक्ता) श्रीमती सुकन्तीन, ग्राम–गौरगांव पोस्ट–कोहकामेटा, तहसील–केशकाल, जिला–कोण्डागांव के द्वारा अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर के समक्ष विद्युत देयक बी0पी0नं0 1005011507 बगैर कनेक्शन के अनावश्यक बिजली बिल बकाया होने का प्रकरण बनाकर नोटिस भेजकर प्रताड़ित करने के विषय में शिकायत की गई है। जो कि कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कोण्डागांव (छ0ग0) (अनावेदक) के विरूद्ध प्रकरण दर्ज है।

2. दर्ज प्रकरण में "सूचना पत्र अन्तर्गत धार 42 (5) विद्युत अधिनियम 2003" के तहत् तीन बिन्दुओं पर जवाबदावा प्रत्युत्तर फोरम कार्यालय में दिनांक 23.04.2026 या उसके पूर्व तक दो प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

3. बिन्दुवार जवाबदावा प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

(i) क्या शिकायत का निपटारा आपके द्वारा किया जा सकता है?

जवाबः– हॉ, शिकायत का निपटारा इस कार्यालय के द्वारा किया जा सकता है।

(ii) यदि निपटारा सम्भव ना हो, तो उसका कारण?

जवाबः– निपटारा किया जाना सम्भव है।

(iii) प्रकरण से संबंधित जवाबदावा एवं दस्तावेज प्रस्तुत करें?

जवाबदावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता हैः–

(i) दर्ज प्रकरण में उपभोक्ता परिसर का भौतिक सत्यापन कराया गया। उपभोक्ता परिसर में एक ही विद्युत कनेक्शन BP.No. 1004797104 स्थापित है एवं उपभोग किए जा रहे विद्युत खपत मीटर में दर्ज हो रही है। किन्तु–उक्त बी0पी0नं0 1004797104 सैप में निष्क्रिय हो जाने पर जिसका अंतिम देयक माह–दिसम्बर–2023 को जारी हुआ एवं वर्तमान में उसके विरूद्ध कोई बकाया राशि भी शेष नहीं है।

(ii) उसी उपभोक्ता परिसर में श्रीमती सुकन्तीन के नाम पर एक अन्य बी0पी0क्र0 1005011507 का विद्युत देयक जारी हो रहा है। उक्त विद्युत कनेक्शन में कार्यालय द्वारा मीटर (कनेक्शन) जारी ही नहीं किया गया है, किन्तु औसत युनिट्स का देयक जारी होने से एरियर्स की राशि परिलक्षित हो रही है।

(iii) चूँकि बी0पी0क्र0 1004797104 सैप में निष्क्रिय हो जाने व अंतिम देयक भी माह दिसम्बर 2023 में जारी हो जाने पर उसे पुनः सक्रिय किए जाने की जटिलता को देखते हुए इसमें विद्यमान मीटर को बी0पी0क्र0 1005011507 में स्थापित कर विद्युत खपत दर्ज की जा रही है।

(iv) बी0पी0क्र0 1005011507 का विद्युत देयक राशि रू0 13035/– मात्र को आवश्यक सुधार कर उपभोक्ता को रू0 6960/– मात्र का देयक जारी किया गया है।

(v) विद्युत देयक समस्या का समाधान विद्युत विभाग द्वारा कर दिए जाने पर उपभोक्ता श्रीमती सुकन्तीन, ग्राम–गौरगांव फोरम जगदलपुर में अपनी शिकायत नस्तीबद्ध किए जाने हेतु अपना बयान/आवेदन प्रस्तुत की है।

(3) यह कि, दिनांक 13.05.2026 दिन बुधवार समय 12:00 बजे सुनवाई में अनावेदक श्री जे0 केरकेटा, कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, कोण्डागांव एवं श्री

शांतनु वर्धन, कनिष्ठ अभियंता (उपसंभाग), केशकाल तथा आवेदिका श्रीमती सुकन्तीन उपस्थित हुए।

(i) श्री जे0 केरकेटा, कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, कोण्डागांव द्वारा इस प्रकरण के संबंध में बताया गया कि, कार्यालय पत्र क्र0 190 कोण्डागांव दिनांक 22.04.2026 में दिये गये जवाबदावा में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार फोरम से निवेदन है कि, उचित आदेश प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।

(ii) उपभोक्ता श्रीमती सुकन्तीन द्वारा बताया गया कि, मेरे घर में पूर्व से ही एक ही कनेक्शन विद्यमान है जिसका भुगतान प्राप्त देयक के अनुसार से किया जाता रहा है इसके बावजूद भी मुझे लोक अदालत के माध्यम से किसी अन्य कनेक्शन नम्बर का देयक के भुगतान हेतु नोटिस दिया गया था यह कनेक्शन मैंने कभी लगवाया ही नहीं है। अतः जिस कनेक्शन का मैं उपभोग करती रही हूँ उसका नियमितीकरण कर सूचारू रूप से देयक प्रदान करने का कष्ट करें एवं विवादित राशि का उचित रूप से समाधान किया जावे। सुनवाई पूर्ण प्रकरण आदेश हेतु नस्ती।

(4) फोरम के निष्कर्ष – उभय पक्षों के मौखिक एवं लिखित तर्कों के अवलोकन उपरांत फोरम के संज्ञान में ज्ञात निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

(i) यह कि, आवेदिका श्रीमती सुकन्तीन बाई ग्राम– गौरगांव, तहसील– केशकाल जिला–कोण्डागांव की निवासी है जो कि आवेदिका द्वारा घरेलु उपयोग हेतु विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन लिया गया है जिसका बी0पी0क्र0 1004797104 है। जिसका विद्युत बिल आवेदिका द्वारा निरंतर समय पर जमा किया जाता रहा है।

(ii) यह कि, आवेदिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नोटिस (जारी दिनांक 13.09.2024) प्राप्त हुआ है। जिसमें आवेदिका के नाम से B.P. No. 1005011507 का 13035/– का बकाया राशि की वसूली होना शेष दर्शाया गया है।

(iii) यह कि, आवेदिका द्वारा बताया गया कि, उक्त बी0पी0न0 1005011507 का कोई विद्युत कनेक्शन/मीटर मेरे परिसर में नहीं लगाया गया है न ही कभी उक्त बी0पी0क्र0 1005011507 का कोई बिल कभी भी प्रदान नहीं किया गया है। उक्त नोटिस से परेशान होकर त्रुटि सुधार हेतु आवेदिका द्वारा दिनांक 03.01.2025 को कनिष्ठ यंत्री–केशकाल को आवेदन दिया गया। परंतु विद्युत विभाग द्वारा को त्रुटि सुधार नहीं किया गया।

(iv) यह कि, विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 20.03.2026 को घर जाकर आवेदिका को बताया गया कि आपका विद्युत बिल 19000/– हो गया है जिसे विद्युत कार्यालय आकर भुगतान करना होगा। उक्त संबंध में आवेदिका द्वारा बगैर मीटर बगैर कनेक्शन और बगैर विद्युत उपयोग किये भुगतान नहीं किये जाने हेतु अपने आवेदन में लेख किया गया है।

(v) यह कि, अनावेदक द्वारा अपने जवाबदावा में बताया गया है कि, उपभोक्ता के परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर परिसर में एक ही विद्युत कनेक्शन BP.No. 1004797104 स्थापित है एवं उपभोग किए जा रहे विद्युत खपत मीटर में दर्ज हो रही है। किन्तु–उक्त बी0पी0नं0 1004797104 सैप में निष्क्रिय हो जाने पर जिसका अंतिम देयक माह–दिसम्बर–2023 को जारी हुआ एवं वर्तमान में उसके विरूद्ध कोई बकाया राशि भी शेष नहीं है।

(vi) यह कि, उसी उपभोक्ता के परिसर में श्रीमती सुकन्तीन के नाम पर एक अन्य बी0पी0क्र0 1005011507 का विद्युत देयक जारी हो रहा है। उक्त विद्युत कनेक्शन में कार्यालय द्वारा मीटर (कनेक्शन) जारी ही नहीं किया गया है, किन्तु औसत युनिट्स का देयक जारी होने से एरियर्स की राशि परिलक्षित हो रही है।

(vii) चूँकि बी0पी0क्र0 1004797104 सैप में निष्क्रिय हो जाने व अंतिम देयक भी माह दिसम्बर 2023 में जारी हो जाने पर उसे पुनः सक्रिय किए जाने की जटिलता को देखते हुए इसमें विद्यमान मीटर को बी0पी0क्र0 1005011507 में स्थापित कर विद्युत खपत दर्ज की जा रही है। बी0पी0क्र0 1005011507 का विद्युत देयक राशि रू0 13035/– मात्र को आवश्यक सुधार कर उपभोक्ता को रू0 6960/– मात्र का देयक जारी किया गया है।

(5) फोरम का निर्णय – आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं दस्तावेजों के अध्ययन/विवेचन से फोरम इस निर्णय पर पहुंचता है कि :–

(i) बी0पी0क्र0 1005011507 में की गई डिमाण्ड राशि रू0 13035/– को एवं यदि इस कनेक्शन में अन्य राशि हो तो विलोपित किया जावे।

(ii) बी0पी0क्र0 1004797104 को सक्रिय किया जावे।

(iii) बी0पी0क्र0 1004797104 में लगे मीटर का माह जनवरी 2024 से दर्ज रीडिंग अनुसार माहवार बिलिंग किया जावे।

(iv) माह जनवरी 2024 से बिलिंग में यदि सरचार्ज मांग (SAP में) की जाती है उसे विलोपित किया जावे वह वसूली योग्य नहीं है।

(v) उपभोक्ता द्वारा बी0पी0क्र0 1004797104 एवं 1005011507 में से किसी भी कनेक्शन में यदि भुगतान किया गया हो तो उसे नवीन देयक बी0पी0क्र0 1004797104 में समायोजित किया जावे।

(vi) उपरोक्तानुसार कार्यवाही की पालन प्रतिवेदन फोरम कार्यालय जगदलपुर को उपलब्ध करावें।

(6) आदेश पारित।

(7) प्रकरण निराकृत।

(8) यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिवस के भीतर **माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर (छ0ग0)** में अपील कर सकता है।

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर